रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 458] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 1983/अग्रहायण 9, 1905
No. 458] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 1983/AGRAHAYANA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1983

सं० सा० का० नि० 869 (अ).—केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना की तारीख को गुजरात राज्य में यथा-प्रवृत्त मुम्बई धृनि खण्डकरण निवारण और चकबंदी अधिनियम, 1947 (1947 का मुम्बई अधिनियम सं० 62) का निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात:—

उपान्तरण

1. इस अधिनियम में सर्वत्र,—

(क) जब तक कि अन्यथा निदेशित न किया जाए, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा और किसी ऐसे वाक्यांश में जिसमें "राज्य सरकार" शब्द आते हैं, ऐसे पारिणामिक परिवर्तन किए जाएंगे जो व्याकरण के नियमानुसार अपेक्षित हो,

(ख) "सुसंगत संहिता" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं, "दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. धारा 1 की उपधारा (2) में "गुजरात राज्य" शब्दों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे

3. धारा 2 में,—

(i) खण्ड 1 को खण्ड (1क) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित खण्ड (1क) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (1क) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

(ख) "कलैक्टर" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का कलक्टर अभिप्रेत है,

(iii) खण्ड (2) में "महल या तालुका" शब्दों का लोप किया जाएगा,

(iv) खण्ड (3क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:—

(3क) "सहकारी सोसाईटी" से संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त गुजरात सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत मानी गई सहकारी सोसाईटी अभिप्रेत है,

(v) खण्ड (8) में "या शिरस्तादार" और उसके नीचे स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(vi) खण्ड (9क), (9ख) और (9ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात :—

(9क) "बन्दोबस्त आयुक्त" के अंतर्गत कलक्टर या प्रणामक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी है;

(9ख) "संघ राज्य क्षेत्र" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

(vii) खण्ड (12) का लोप किया जाएगा।

4. धारा 3 में "महल या तालुका या तहसील" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. धारा 4 की उपधारा (i) में, "जिला" शब्द का लोप किया जाएगा।

6. धारा 7 में उपधारा (i) के परन्तुक में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

7. धारा 8कक की उपधारा (2) के खण्ड (क) में "या, यथास्थिति" भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अनुकूलन और लागू होना) अध्यादेश, 1948 के अधीन मुम्बई राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र को उस के लागू होने में उस धारा के शब्दों, अंकों का लोप किया जाएगा।

8. धारा 10, में,—

(i) उपधारा (1) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते है, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात :—

"(2) ऐसा किसी खण्ड का दादरा और नागर हवेली भू०-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 के उपबंधों के अनुसार व्ययन किया जा सकेगा।"

9. धारा 12 में "या, यथास्थिति, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अनुकूलन और लागू होना) अध्यादेश, 1948 के अधीन मुम्बई राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र को इसको लागू होने में उस धारा की उपधारा (i) के" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

10. धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"13. दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 की धारा 81 में निम्नलिखित उक्त धारा के प्रारंभ में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"गुजरात राज्य में यथा प्रवृत्त और दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित मुम्बई धृति खण्डकरण निवारण और चकबंदी अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन रहते हुए"।

11. धारा 15 में "महल, तालुका या तहसील" शब्दों का लोप किया जाएगा।

12. धारा 16 की उपधारा (2) में "या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अनुकूलन और लागू होना) अध्यादेश, 1948 के अधीन मुम्बई राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र को इसको लागू होने में उस धारा की उपधारा (1) के" शब्दों और और अंकों का लोप किया जाएगा।

13. धारा 18 की उपधारा (2) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

14. धारा 21 की उपधारा (5) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते है, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

15. धारा 26 में (1) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"(1) चकबंदी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान चकबंदी अधिकारी दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 के अध्याय 9 और दादरा और नागर हवेली में यथा प्रवृत्त मामलतदार न्यायालय अधिनियम, 1906 (1906 का मुम्बई अधिनियम 2) के अधीन राजस्व अधिकारी के कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा और चकबंदी अधिकारी से भिन्न कोई राजस्व अधिकारी ऐसी किसी धृति या भूमि की बाबत जिसकी चकबंदी के लिए धारा 15 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, उक्त अधिनियम या विनियम के अधीन कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

(2) जहां चकबंदी अधिकारी ऐसी किन्ही धृतियों की बाबत धारा 15 के अधीन कोई स्कीम तैयार करने के लिए अग्रसर होता है, वहां—

(क) किसी ऐसी धृति या भूमि की बाबत जिसकी चकबंदी के लिए धारा 15 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 के अध्याय 9 और, दादरा और नागर हवेली में यथा प्रवृत्त मामलतदार न्यायालय अधिनियम, 1906 (1906 का मुम्बई अधिनियम 2) के अधीन किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष लंबित सभी आवेदन और कार्यवाहियां,

जिनके अंतर्गत निष्पादन कार्यवाहियां भी है, चकबंदी अधिकारी को अंतरित हो जाएगा, और

(ख) चकबंदी अधिकारी प्रख्यापना द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जो ऐसी किसी धृति के जिसकी चकबंदी के लिए धारा 15 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, उक्त अधिनियम या विनियम के अधीन कब्जे का हकदार होने का दावा करते है, विहित अवधि के भीतर ऐसी धृति का कब्जा दिलाने का आवेदन करने के लिए अपेक्षा करेगा और ऐसा कोई व्यक्ति जो विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहेगा, तत्पश्चात् आवेदन करने से विवर्जित कर दिया जाएगा :

परन्तु इस खंड की कोई बात किसी व्यक्ति को धारा 22 के अधीन किसी चकबंदी स्कीम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, स्कीम में सम्मिलित किसी धृति की बाबत आवेदन करने से विवर्जित नही करेगी यदि ऐसा आवेदन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन किया जा सकता है।

(2) उपखण्ड (iii) में "उक्त अधिनियमों में से किसी के अधीन" शब्दों के स्थान पर "उक्त अधिनियम या विनियम के अधीन" शब्द रखे जाएंगे।

16. धारा 27 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) (i) दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 की धारा 170 और 172 के अधीन कोई भी कार्यवाही;

(ii) संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त गुजरात सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 के अधीन किए गए या किए गए माने गए किसी अधिनिर्णय के निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही,

(iii) संघ राज्य क्षेत्र कृषि ऋणता अनुतोष विनियम, 1976 के अधीन किए गए किसी अधिनिर्णय के निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही ;

(iv) किसी ऐसी भूमि की बाबत जिसके संबंध में धारा 15 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही;

(v) किसी भी रीति में विभाजन या उपविभाजन करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नही की जाएगी और यदि ऐसी कार्यवाहिया प्रारम्भ कर दी गई है तो वे रोक दी जाएगी;

17. धारा 30 में "या, यथास्थिति, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अनुकूलन और लागू होना) अध्यादेश, 1948 द्वारा सौराष्ट्र क्षेत्र को लागू उस अधिनियम के उक्त उपबंध" शब्दों का लोप किया जाएगा।

18. धारा 31 मे,—

(क) उपधारा (2) मे,—

(i) खण्ड (क) मे अन्त मे आने वाले "या" शब्दों का लोप किया जाएगा,

(ii) खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा,

(ख) उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा।

19. धारा 37 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

20. धारा 38 का लोप किया जाएगा :

उपाबन्ध

गुजरात राज्य मे यथाप्रवृत्त मुम्बई धृति खण्डकरण और चकबंदी निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का मुम्बई अधिनियम सं० 62) जैसा कि वह दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारित किया गया है—

कृषि धृतियों के खण्डकरण का निवारण करने और उनकी चकबंदी के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

कृषि धृतियों के खण्डकरण का निवारण करना और धृतियों की और अच्छी प्रकार से खेती करने के प्रयोजन के लिए कृषि धृतियों की चकबंदी के लिए उपबंध करना समीचीन है, अत : निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित किया जाता है।

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुम्बई धृति खण्डकरण और चकबंदी निवारण अधिनियम, 1947 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर है।

(3) ये उन क्षेत्रों मे और उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासन राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

2. परिभाषाए : इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से कोई बात विपरीत हो :—

(i) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(1क) "कृषि वर्ष" से अप्रैल की पहली तारीख को प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;

(1ख) "कलक्टर" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का कलक्टर अभिप्रेत है ;

(2) "धृतियों की चकबंदी" से किसी गाव या उसके किसी भाग में धृतियों में खेतों की संख्या को कम करने

के लिए समामेलन और जहां आवश्यक हो वृतियों या धृतियों के अंशों का पुनः वितरण अभिप्रेत है ।

(3) "चकबंदी अधिकारी" से प्रशासक द्वारा धारा 15 के अधीन इस रूप मे नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रशासक द्वारा इस अधिनियम के अधीन चकबंदी अधिकारी के सब या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति भी है;

(3क) "सहकारी सोसाइटी" से गुजरात सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 (1961 का 10) जैसा कि यह संघ राज्यक्षेत्र मे प्रवृत्त है कि अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है ;

(4) "खण्ड" से इस अधिनियम के अधीन अवधारित किए गए उपयुक्त मानक क्षेत्र से विस्तार मे कोई खेत अभिप्रेत है;

परन्तु भू-संकलन द्वारा क्षेत्र में कोई कमी होने के कारण कोई खेत खण्ड नहीं समझा जाएगा ;

(5) "भूमि" से कृषि भूमि अभिप्रेत है चाहे वह अन्य संक्रामित है या अनन्य संक्रामित ;

(6) "स्थानीय क्षेत्र" से धारा 3 के अधीन राजपत्र में इस रूप में अधिसूचित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(7) * * * * *

(8) "स्वामी" से अनन्यत संक्रामित भूमि की दशा में कब्जाधारी या भू-धृतिधारी अभिप्रेत है और जहां ऐसी भूमि बंधन रखी गई है वहां स्वामी से बंधकर्ता अभिप्रेत है; अन्य संक्रामित भूमि की दशा मे स्वामी से वरिष्ठ धारक अभिप्रेत है ;

(9) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(9क) "चकबंदी आयुक्त" के अंतर्गत कलक्टर या प्रशासक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति है ;

(9ख) "संघ राज्य क्षेत्र" से दादरा और नागर हवेली का संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;

(10) किसी वर्ग की भूमि की बाबत "मानक क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो प्रशासक द्वारा धारा 5 के अधीन, समय समय पर, किसी विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र में लाभप्रद खेती के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र के रूप मे अवधारित किया जाता है और इसके अंतर्गत उक्त धारा के अधीन पुनरीक्षित मानक क्षेत्र भी है ;

(10क) "ग्राम समिति" से धारा 34-क के अधीन गठित की गई ग्राम समिति अभिप्रेत है ;

11. इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित किए गए शब्दों और पदों के वही अर्थ है जो दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासक विनियम, 1971 में उनके है ।

अध्याय 2

स्थानीय और मानक क्षेत्रों का अवधारण तथा खण्डों की बाबत कार्रवाई

3. स्थानीय क्षेत्र का अवधारण : प्रशासक ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम या उसके किसी क्षेत्र को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्थानीय क्षेत्र के रूप मे विनिर्दिष्ट कर सकता है ।

4. मानक "क्षेत्रों का तय किया जाना" (1) प्रशासक, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है और उसके द्वारा नियुक्त की गई सलाहकार समिति या किसी अन्य निकाय से परामर्श करने के पश्चात्, किसी स्थानीय क्षेत्र मे किसी वर्ग की भूमि के लिए वह न्यूनतम क्षेत्र तय कर सकता है जिस पर पृथक खेत के रूप मे लाभप्रद रूप से खेती की जा सकती है ।

(2) प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जैसी विहित की जाए, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा अनंतिम रूप से तय किया गये न्यूनतम क्षेत्रों को प्रकाशित कर सकता है और उनकी बाबत आक्षेप आमंत्रित कर सकता है ।

5. मानक क्षेत्रों का अवधारण और पुनरीक्षण :—(1) प्रशासक ऐसे आक्षेपों पर, यदि कोई, है, जैसे धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन संबंधित ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर प्राप्त होते है और ऐसी अतिरिक्त जाच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र मे हर वर्ग की भूमि के लिए मानक क्षेत्र अवधारित करेगा ।

(2) प्रशासक, किसी भी समय, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझता है तो उपधारा (1) के अधीन अवधारित किए गए मानक क्षेत्र का पुनरीक्षण कर सकता है । ऐसा पुनरीक्षण धारा 4 और उपधारा (1) मे अधिकथित रीति से किया जाएगा ।

(3) प्रशासक, राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा, और ऐसी रीति से जैसी वह विहित करे, उपधारा (1) के अधीन अवधारित या उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित किसी मानक क्षेत्र की लोक सूचना देगा ।

6. स्वामित्व अभिलेख में प्रविष्टि :—(1) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए मानक क्षेत्र अधिसूचित किए जाने पर, उस स्थानीय क्षेत्र के सभी खण्ड इस रूप में स्वामित्व अभिलेख में प्रविष्टि किए जायेंगे या जहां कोई स्वामित्व अभिलेख नही है वहा

IndiaCode

ग्राम ऐसे अभिलेख में जैसा प्रशासक द्वारा विहित किया जाए, प्रविष्ट किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक प्रविष्ट की सूचना दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासक विनियम 1971 के अधीन दाखिल खारीजगी रजिस्टर पर किसी प्रविष्टि की सूचना देने के लिए विहित की गई रीति से दी जाएगी ।

7. खण्डों का अंतरण और पट्टा .—(1) कोई व्यक्ति धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन जिस खण्ड की बाबत सूचना दी गई है उसे पार्श्ववर्ती सर्वेक्षण संख्यांक या किसी सर्वेक्षण संख्यक के मान्य उप-प्रभाग के स्वामी के सिवाय किसी अन्य को अंतरित नहीं करेगा ।

परन्तु ऐसे खण्ड का धारक उसे केन्द्रीय सरकार को या भू-बंधक बैंक को या किसी अन्य सहकारी सोसायटी को, उनमें से किसी के द्वारा उसे उधार दिए गए किसी ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक रख सकता है या अंतरित कर सकता है ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखित या करार में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा खण्ड किसी ऐसी भूमि में जो ऐसे खण्ड की संलग्न है खेती करने वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति को पट्टे पर नहीं दिया जाएगा ।

8. खण्डकरण का प्रतिषेध :—"किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई भूमि इस प्रकार से अंतरित या विभाजित नहीं की जाएगी जिससे कि खण्ड बन जाए ।"

8कक : भूमि के विभाजन पर निबंधन :—(1) जहां किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिए मानक क्षेत्र नियत कर दिए गए हैं किसी अविभाजित कृषि भूमि में दो या अधिक व्यक्ति किसी अंतरण, डिक्री, उत्तराधिकार द्वारा या अन्यथा हकदार हों, और उनकी भूमि का इस प्रकार से विभाजन किया जाता है तो ऐसा विभाजन इस प्रकार से किया जाएगा कि खण्ड बन जाए ।

(2) जहां ऐसा विभाजन न्यायालय या कलक्टर द्वारा किया जाता है वहां निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा—

(क) यदि विभिन्न सह अंशधारकों के बीच विभाजन करने के दौरान यह पाया जाता है कि एक सह-अंशधारक भूमि में किसी विनिर्दिष्ट अंश का हकदार है और उसे वह अंश खण्ड बनाए बिना नहीं दिया जा सकता तो उसकी उस अंश के लिए क्षतिपूर्ति रुपए से की जाएगी । क्षतिपूर्ति की रकम जहां तक व्यावहार्य हो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

(ख) 1894 का 1 1948 का सौराष्ट्र आदेश सं० 21) :—यदि विभाजन करते के दौरान, यह पाया जाता है कि उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सब सहअंशधारकों के अंशों के लिए व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है तो सहअंशधारक आपस में इस बात के लिए सहमत हो सकते हैं कि उनमें से अंशधारक या अंशधारकों को भूमि का अंश मिलना चाहिए और उनमें से किन्हें धन देकर क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए । ऐसे करार न होने पर सहअंशधारक जिन्हें भूमि का अंश दिया जा सकता है और जो जिन्हें धन के रूप में क्षतिपूर्ति की जा सकती है, निम्नलिखित रीति में लौट निकाल कर चुने जाएंगे ।

(ग) प्रत्येक सहअंशधारी द्वारा देय क्षतिपूर्ति की रकम उस भूमि के मूल्य के आधिक्य के अनुपात में होगी जो वह उसे विधिवत. देय भूमि के अंश से अधिक प्राप्त होती है, और ऐसा सहअंशधारी क्षतिपूर्ति की रकम का वह अनुपात उसे आवंटित अंश का कब्जा ग्रहण करने के पूर्व विहित रीति में जमा करेगा । ऐसा करने में असफल रहने पर उसका किसी अंश किसी अन्य सहअंशधारी को जिसे पहले भूमि आवंटित नहीं की गई है, तथा जिसे खण्ड (ख) में उपबंधित रीति से चुना जाता है, इस बात के अधीन रहते हुए कि वह भी उन सहअंशधारकों को जिन्हें भूमि का अंश नहीं प्राप्त हुआ है वैसी ही क्षतिपूर्ति करेगा, भूमि आवंटित करदी जाएगी ।

(घ) यदि ऐसे सहअंशधारकों में से जिन्हें खण्ड ग के अधीन भूमि आवंटित की गई है कोई भी क्षतिपूर्ति की रकम का संदाय नहीं करता है और अंश नहीं प्राप्त करता है तो वह अंश अधिकतम बोली बोलने वाले को नीलाम करके विक्रय कर दिया जाएगा, तथा क्रय धन उन सह अंशधारकों को सदत्त कर दिया जाएगा जिन्हें उन्हें अंश के अनुपात में भूमि प्राप्ति नहीं हुई है ।

(ङ) जहां पक्षकार किसी अन्य रीति से विभाजन करने के लिए सहमत हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप खण्ड नहीं बनते वहां वह पद्धति विभाजन करने के लिए अपनाई जाएगी ।

(3) जहां किसी अधिकारी के निष्पादन में विभाजन किया जाता है वहां भूमि के विभाजन और क्षतिपूर्ति की रकम के प्रभाजन में संबंधित सब प्रश्न डिक्री का निष्पादित करने वाले न्यायालय या विभाजन करने वाले कलक्टर द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे ।

8क. धारा 7 और 8 का लोक प्रयोजनों के लिए अंतरण को लागू न होना :—धारा 7, 8 और 8कक की कोई बात किसी भूमि के ऐसे लोक प्रयोजनों के लिए अंतरण

को लागू नहीं होगी जो प्रशासक द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाए ।

9. अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल अंतरण या विभाजन के लिए शास्ति :—(1) किसी भूमि का इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल अंतरण या विभाजन शून्य होगा ।

(2) इस प्रकार से अंतरित या विभाजित किसी भूमि का स्वामी 250 रुपए से अनधिक उतने जुर्माने के संदाय के लिए देय होगा जितना कलक्टर, प्रशासक द्वारा निर्दिष्ट साधारण आदेशों के अधीन रहते हुए नियत करे । ऐसा जुर्माना भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि का अप्राधिकृत रूप से कब्जा किए हुए है या संदोष कब्जे में है जिस भूमि का अंतरण या विभाजन पक्षकारों के कार्यों से या विधि के प्रवर्तन के कारण इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शून्य है, कलक्टर द्वारा संक्षिप्त रूप से बेदखल किया जा सकता है ।

10. सरकार को खण्डों का अंतरण :—(1) किसी खण्ड का स्वामी उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उस भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को ऐसी क्षतिपूर्ति करने पर जैसी कलक्टर अवधारित करे, केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर सकता है और तद्पुरि वह खण्ड पूर्ण रूप से, सब विलंगमों से मुक्त रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगा किन्तु किसी ऐसे खण्ड का केन्द्रीय सरकार को तब तक अंतरण नहीं किया जाएगा जब तक वह खण्ड पहले संलग्न सर्वेक्षण संख्यांक या किसी सर्वेक्षण संख्यांक मान्य उप-खण्ड के स्वामी को कलक्टर द्वारा उपर्युक्त रूप से अवधारित क्षतिपूर्ति की रकम का संदाय करने पर प्रस्थापित नहीं कर दिया जाता और ऐसा स्वामी ऐसे क्षतिपूर्ति की रकम का संदाय करने के उस खण्ड का कार्य करने से इंकार नहीं कर देता ।

(2) किसी ऐसे खण्ड का निष्पादन दादरा और नागर हवेली-भू-राजस्व प्रशासक विनियम, 1971 के उपबंधों के अनुसार किया जा सकता है ।

11. * * * * *

12. धारा 10 के प्रयोजनों के लिए क्षतिपूर्ति का अवधारण 1894 का 1 :—धारा 10 के प्रयोजनों के लिए क्षतिपूर्ति का अवधारण करने में कलक्टर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 23 की उपधारा (1) के उपबंधों को ध्यान में रखेगा ।

13. दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम 1971 की धारा 81 उस उक्त धारा के प्रारम्भ पर निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"गुजरात राज्य में यथाप्रवृत्त और दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित मुम्बई धृति खण्डकरण निवारण चकबंदी अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन रहते हुए" ।

14. न्यायालय द्वारा विक्रय में खण्ड का विक्रय न किया जाना या ऐसे विक्रय द्वारा खण्ड न बनाना :—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा खण्ड, जिसकी बाबत धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना दी गई है, किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन किए जा रहे किसी विक्रय में केवल संलग्न संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के मान्य उप-खण्ड के स्वामी को ही विक्रय किया जाएगा । किसी अन्य को नहीं और किसी भूमि का ऐसे विक्रय के दौरान इस प्रकार से विक्रय नहीं किया जाएगा कि कोई खण्ड बन जाए ।

अध्याय 3

चकबंदी की प्रक्रिया

15. प्रशासक अपनी ओर से या आवेदन किए जाने पर धृतियों की चकबंदी के लिए स्कीम बनाने के आशय की घोषणा कर सकेगा :—किसी ग्राम या उसके किसी भाग में, भूमि की और अच्छी खेती के प्रयोजन के लिए, धृतियों की चकबंदी के उद्देश्य से प्रशासक, अपनी ओर से या इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और संबंधित ग्राम या ग्रामों में विहित रीति से अपने इस आशय का प्रकाशन करके ऐसे ग्राम या उनके उन भागों में जो विनिर्दिष्ट किए जाएं धृतियों की चकबंदी के लिए स्कीम बनाने के आशय की घोषणा कर सकता है ।

15. स्कीम की तैयारी और उसकी तैयारी के लिए अनुसरित किए जाने वाले सिद्धांत :—(क) (1) चकबंदी अधिकारी, संबंधित भू-स्वामियों और ग्राम समिति को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् संबंधित ग्रामों का परिभ्रमण करेगा और, ग्राम समिति के परामर्श से, धृतियों की चकबंदी के लिए स्कीम तैयार करने के लिए अग्रसर होगा जिसमें ऐसी विवरणियां, अभिलेख और नक्शे भी होंगे जो विहित किए जाऐ ।

(2) स्कीमें तैयार करने में चकबंदी अधिकारी उस प्रक्रिया का जो प्रशासक द्वारा उन प्रखण्डों के लिए विहित की जाती है जिनमें ग्राम की भूमियों को समूहबद्ध किया गया है, प्रत्येक स्वामी को नए प्लाट आबंटित करने की रीति, ग्राम समिति की सिफारिशों और ऐसे अन्य विषयों को जो विहित किए जाएं, ध्यान में रखेगा ।

16. स्कीम में क्षतिपूर्ति के लिए उपबंध करना :—(1) चकबंदी अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्कीमों में ऐसा स्वामी क्षतिपूर्ति के संदाय के लिए उपबंध किया जाएगा जिसे उसकी मूल धृति से कम बाजार मूल्य की धृति आबंटित की जाती है और उस स्वामी से क्षतिपूर्ति उस वसूली के लिए भी उपबंध किया जाएगा जिसे उसकी मूल धृति से अधिक बाजार मूल्य की धृति आबंटित की जाती है ।

(2) क्षतिपूर्ति की रकम, जहां तक व्यावहार्य है, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 23 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

17. धृति चकबंदी की स्कीम के भीतर लोक सड़कों आदि का आमेलन :—(1) धृति चकबंदी की किसी स्कीम को तैयार करने के दौरान जब भी चकबंदी अधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी सड़क, गली या लेन या पथ को स्कीम में किसी धृति में आमेलित करना आवश्यक है वहां वह इस आशय की घोषणा करेगा और ऐसी घोषणा में यह कथन करेगा कि उक्त सड़क, गली, लेन या पथ में या उन पर जनसाधारण के या सभी विशिष्टियों के अधिकार या तो समाप्त हो जाएंगे या चकबंदी स्कीम में अधिकथित किसी नई सड़क गली, लेन या पथ को अंतरित हो जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) की घोषणा संबंधित ग्राम में विहित रीति में, धारा 5 में निर्दिष्ट स्कीम के प्रारूप के साथ, प्रकाशित की जाएगी ।

(3) जनसाधारण का कोई सदस्य या कोई व्यक्ति जिसका उक्त सड़क, गली, लेन या पथ में या उस पर, जनसाधारण के मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त, कोई हित या अधिकार है या कोई ऐसा अन्य हित या अधिकार है जिस पर उक्त प्रस्थापना से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् तीस दिन के भीतर चकबंदी अधिकारी को प्रस्थापना के विरुद्ध अपने आक्षेप, ऐसे हित या अधिकार की प्रकृति और वह रीति जिस में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा ऐसे हित या अधिकार के लिए क्षतिपूर्ति के अपने दावे की रकम और विशिष्टियां कथित करेगा :

परन्तु ऐसी सड़क, गली, लेन या पथ पर जनसाधारण के मार्ग के अधिकार की समाप्ति या कमी के कारण क्षतिपूर्ति का कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(4) चकबंदी अधिकारी प्रस्थापना के विरुद्ध किए गए आक्षेपों पर, यदि कोई हैं, विचार करने के पश्चात् प्रस्थापना को ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई है, जैसे वह आवश्यक समझता है, बंदोबस्त आयुक्त के समक्ष, प्राप्त किए गए आक्षेपों, उनकी बाबत अपनी सिफारिशों और ऐसी क्षति-पूर्ति की रकमों, यदि कोई है, जो उसकी राय में देय हैं, विवरणी तथा उन व्यक्तियों के नामों सहित जिन के द्वारा और जिन्हें ऐसी क्षतिपूर्ति संदत्त की जानी है, बंदोबस्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगा । प्रस्थापना और क्षतिपूर्ति की रकम की बाबत तथा उन व्यक्तियों की बाबत जिनके द्वारा ऐसी क्षतिपूर्ति, यदि कोई हैं, संदेय है की बाबत बंदोबस्त आयुक्त का विनिश्चय, प्रशासक द्वारा किए जाने वाले किन्हीं उपांतरणों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा ।

18. लोक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि :—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, चकबंदी अधिकारी के लिए, ग्राम समिति के परामर्श से,—

(क) यह निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि किसी लोक प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से समनुदेशित कोई भूमि इस प्रकार से समनुदेशित नहीं रहेगी और उसके स्थान पर कोई अन्य भूमि समनुदेशित की जाएगी;

(ख) किसी भूमि को ऐसी अध्यपेक्षाओं के लिए समनुदेशित करना विधिपूर्ण होगा यदि चकबंदी के अधीन किसी क्षेत्र में किसी लोक प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत ग्राम स्थल का विस्तार भी है, कोई भूमि समनुदेशित नही की गई है या यदि कोई भूमि आरक्षित की गई है तो वह अपर्याप्त है, तथा इस प्रयोजन के लिए ग्राम के सब धृतियों में से अनुपातता कटौती करके इस प्रयोजन को प्रभावी करना विधिपूर्ण होगा ।

(2) जहां किसी ग्राम की सब धृतियों में से उपधारा (1) के अधीन अनुपातः कटौती की जाए वहां केन्द्रीय सरकार उससे प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी कटौती में आने वाली भूमि की बाबत, धारा 15 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि के मूल्य पर, क्षतिपूर्ति की रकम का केन्द्रीय सरकार संदाय करेगी ।

(3) उपधारा में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी क्षतिपूर्ति की रकम चकबंदी अधिकारी द्वारा, जहां तक व्यवहार्य है, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 23 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

19. स्कीम के प्रारूप का प्रकाशन : (1) जब चकबन्दी की स्कीम प्रकाशन के लिए तैयार हो जाए तब चकबन्दी अधिकारी उसे विहित रीति से संबंधित ग्राम या ग्रामों में प्रकाशित करेगा । ऐसा कोई व्यक्ति जिसका ऐसी स्कीम से प्रभावित होना संभाव्य है, ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी को स्कीम के संबंध में अपने आक्षेप लिखित में संसूचित करेगा । चकबन्दी अधिकारी, आक्षेपों पर, यदि कोई प्राप्त होते है, विचार करने के पश्चात स्कीम को, ऐसे संशोधनों सहित और आक्षेपों पर ऐसी टिप्पणियों सहित, जैसा वह आवश्यक समझता है, चकबन्दी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(2) चकबन्दी अधिकारी इस प्रकार से संशोधित स्कीम को भी प्रकाशित करेगा ।

20. स्कीम की पुष्टि : (1) यदि स्कीम के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित स्कीम के प्रारूप के बारे में या उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित स्कीम के संशोधित प्रारूप के बारे मे कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं तो बंदोबस्त आयुक्त स्कीम की पुष्टि कर देगा ।

(2) यदि स्कीम के ऐसे प्रारूप के बारे में या स्कीम के संशोधित प्रारूप के बारे में कोई आक्षेप प्राप्त होते हैं और—

IndiaCode

(क) बंदोबस्त अधिकारी आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् स्कीम के प्रारूप या संशोधित स्कीम का अनुमोदन कर देता है तो वह स्कीम के प्रारूप या संशोधित प्रारूप को प्राप्त किए गए आक्षेपों के साथ प्रशासक को प्रस्तुत करेगा, या

(ख) बंदोबस्त आयुक्त, आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात्, स्कीम में और संशोधन करता है तो आयुक्त इस प्रकार से और संशोधित की गई स्कीम को विहित रीति से प्रकाशित करेगा ।

(3) यदि उपधारा (2) के खण्ड ख के अधीन आगे और संशोधित की गई स्कीम के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर—

(क) उसकी बाबत कोई आक्षेप प्राप्त नही होते हैं तो बंदोबस्त आयुक्त स्कीम की पुष्टि कर देगा, और

(ख) यदि कोई आक्षेप प्राप्त होते हैं तो बंदोबस्त आयुक्त ऐसी और आगे संशोधित की गई स्कीम को प्राप्त किए गए आक्षेपों सहित प्रशासक के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(4) उपधारा (2) के खण्ड के या उपधारा

(3) के खण्ड ख के अधीन स्कीम के प्रस्तुत किए जाने पर प्रशासक, आक्षेप पर विचार करने के पश्चात्, या तो स्कीम की किन्हीं संशोधनों सहित या उसके बिना पुष्टि कर सकता है या उसकी पुष्टि करने से इंकार कर सकता है ।

21. नई वृत्तियों का कब्जा लेने का अधिकार : (1) धारा 20 की उपधारा (1), (3) या (4) के अधीन स्कीम की पुष्टि होने पर, एक अधिसूचना जिसमें यह कथित होगा कि स्कीम की पुष्टि कर दी गई है, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और इस प्रकार से पुष्टि की गई स्कीम संबंधित ग्राम या ग्रामों में विहित रीति से प्रकाशित की जाएगी । यदि ऐसी स्कीम से प्रभावित होने वाले स्वामियों में से दो तिहाई या अधिक स्कीम के अधीन उन्हें आबंटित की गई धृतियों का कब्जा लेने के लिए सहमत हो जाते हैं तो चकबन्दी अधिकारी सभी स्वामियों को तुरन्त इस प्रकार से कब्जा लेने की अनुज्ञा दे सकता है या ऐसी तारीख से कब्जा लेने की अनुज्ञा दे सकता है जैसी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) यदि एसे स्वामियों में से दो तिहाई या उससे अधिक उपधारा (1) के अधीन कब्जा लेने के लिए सहमत नहीं होते हैं तो सभी स्वामी उपधारा (1) के अधीन स्कीम की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पश्चात्वर्ती कृषि वर्ष के प्रारम्भ से स्कीम के अधीन उन्हें आबंटित धृतियों का कब्जा लेने के हकदार होंगे ।

(2क) उपधारा (1) या (2) के उपबन्धों को प्रवृत्त करते समय चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक है तो, स्वामियों को उन धृतियों का कब्जा देगा जिनके वे स्कीम के अधीन हकदार हैं और ऐसा करने में वह किसी व्यक्ति को किसी भूमि से विहित रीति से, बेदखल कर सकता है ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी स्वामी स्कीम के अधीन आबंटित की गई किसी धृति का कब्जा लेने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह विहित रीति से, उक्त कृषि वर्ष के प्रारम्भ के ठीक पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसी क्षतिपूर्ति रकम जमा नहीं कर देता जैसी स्कीम के अधीन उससे वसूलीय है ।

(4) जहां कोई स्वामी उपधारा (3) के उपबन्ध का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां ऐसी धृत्ति में उसका अधिकार, विहित रीति से, चकबन्दी अधिकारी द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को आबंटित किया जा सकता है जो कृति के मूल्य का संदाय करता है और ऐसी दशा में इस प्रकार वसूल किया गया मूल्य, उसमें से व्यय काटकर, (जिसे इसमें इसके पश्चात शोध्य मूल्य कहा गया है) स्वामी को और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसका धृति में हित है, संदत्त कर दिया जाएगा ।

(5) यदि कोई भी व्यक्ति धृति के मूल्यों का संदाय करने के लिए आगे नहीं आता है तो केन्द्रीय सरकार स्कीम के अधीन वसूलीय क्षतिपूर्ति की रकम स्वामी से भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकती है या केन्द्रीय सरकार स्वयं उस धृत्ति को उसके शोध्य मूल्य का स्वामी और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसका धृत्ति में हित है को संदाय करने के पश्चात् क्रय कर सकती है ।

22. स्कीम का लागू होना : जैसे ही वे व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन धृत्तियों को कब्जा ग्रहण कर लें, स्कीम को लागू हुए समझा जाएगा ।

23. कतिपय विधियों का धृत्तियों के अन्तरण में बाधा न होना : तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी स्वामियों के या हितबद्ध अन्य व्यक्तियो के अधिकार चकबन्दी की किसी ऐसी स्कीम को जो उन पर प्रभाव डालती है प्रभावशील करने के प्रयोजन के लिए विनियम द्वारा या अन्यथा संक्रमणीय होंगे ।

24. अंतरण का प्रमाणपत्र : (1) चकबन्दी अधिकारी ऐसी प्रत्येक स्वामी को जिसे किसी चकबंदी स्कीम के अनुसरण में कोई धृति आबंटित की गई है तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन कोई अधिकार आबंटित किया गया है, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत एक प्रमाणपत्र, विहित प्ररूप में देगा जो इस आशय का होगा कि धृत्ति उस व्यक्ति को स्कीम के अनुसरण में अंतरित की गई है । तदुपर, चकबन्दी अधिकारी इस प्रकार से अंत-

रित धृतियों की बाबत एक नया अधिकार अभिलेख तैयार करवाएगा और इस प्रकार तैयार किया गया अधिकार अभिलेख दादरा और नागर हवेली भूमि राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का 2) के अधीन तैयार किया गया समझा जाएगा ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रमाणपत्र की बाबत कोई स्टाम्प या रजिस्ट्रीकरण फीस देय नहीं होगी ।

25. चकबंदी में सहायता के लिए उधार : इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए स्वामी को उधार मंजूर किया जा सकता है और भूमि सुधार उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) या कृषि उधार अधिनियम, 1884 (1884 का 21) के अधीन उधार के रूप में वसूल किया जा सकता है ।

अध्याय 4

चकबंदी कार्यवाहियों और धृतियों की चकबंदी का प्रभाव:

26. चकबंदी कार्यवाहियों और धृतियों की चकबंदी का प्रभाव : (1) चकबंदी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान चकबंदी अधिकारी, दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का 2) के अध्याय 9 और दादरा और नागर हवेली में यथा प्रवृत्त मामलतदार न्यायालय अधिनियम, 1906 (1906 का मुम्बई अधिनियम सं० 2) के अधीन राजस्व अधिकारी के कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा और चकबंदी अधिकारी से भिन्न कोई राजस्व अधिकारी ऐसी किसी धृतियां या भूमि की बाबत जिसकी चकबन्दी के लिए धारा 15 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है उक्त अधिनियम या विनियम के अधीन कोई कार्यवाही नहीं करेगा ।

(2) जहां चकबन्दी अधिकारी किन्हीं धृतियों की बाबत धारा 15 के अधीन कोई स्कीम तैयार करने के लिए अग्रसर होता है, वहां—

(क) ऐसी किसी धृति या भूमि की बाबत जिसकी चकबंदी के लिए धारा 15 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का 2) के अध्याय 9 और दादरा और नागर हवेली में यथा प्रवृत्त मामलतदार न्यायालय अधिनियम, 1906 (1906 का मुम्बई अधिनियम सं० 2) के अधीन किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष, लंबित सभी आवेदन और कार्यवाहियां, जिनके अन्तर्गत निष्पादन कार्यवाहियां भी हैं, चकबंदी अधिकारी को अंतरित हो जाएंगी; और

(ख) चकबंदी अधिकारी, प्रस्थापना द्वारा, ऐसे सभी व्यक्तियों से जो ऐसी किसी धृत्ति का जिसकी चकबंदी के लिए धारा 15 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, उक्त अधिनियम या विनियम के अधीन कब्जे का अधिकारी होने का दावा करते हैं, विहित अवधि के भीतर ऐसी धृत्ति का कब्जा दिलाने या आवेदन करने के लिए अपेक्षा करेगा; और ऐसा व्यक्ति जो विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहेगा तत्पश्चात् ऐसा आवेदन करने से विवर्जित कर दिया जायगा;

परन्तु इस खण्ड की कोई बात किसी व्यक्ति की धारा 22 के अधीन किसी चकबंदी स्कीम के प्रवृत्त होने के पश्चात् स्कीम में सम्मिलित किसी धृत्ति की बाबत कोई आवेदन करने से विवर्जित नहीं करेगी यदि ऐसा आवेदन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन किया जा सकता है ।

(3) उक्त अधिनियम या विनियम के अधीन चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को वह अधिकारी पुष्टि के लिए कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा यदि इस धारा के अधीन कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इस निमित्त उसे आवेदन किया जाता है ।

27. कतिपय कार्यवाहियों को रोकना चकबंदी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान भूमि के अंतरण पर पाबंदी : जब चकबंदी अधिकारी धारा 15 के अधीन स्कीम तैयार करने के लिए अग्रसर हो तब चकबन्दी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान —

(क) (1) दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का 2) की धारा 170 और 172 के अधीन कोई भी कार्यवाही;

(2) संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त गुजरात सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 के अधीन किए गए या किए गए माने गए किसी अधिनियम के निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही;

(3) संघ राज्य क्षेत्र कृषि ऋणसा अनुतोष विनियम, 1976 के अधीन किए गए किसी अधिनिर्णय के निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही;

(4) किसी ऐसी भूमि की बाबत जिसके संबंध में धारा 15 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गई किसी डिग्री के निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही;

(5) किसी रीति से भी विभाजन करने के लिए या उप विभाजन करने के लिए कोई कार्यवाही;

प्रारम्भ नही की जाएगी और यदि ऐसी कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गई हैं तो वे रोक दी जाएंगी ।

(ख) कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि का अंतरण नहीं करेगा जिसकी बाबत धारा 15 के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई है ।

28. धृति में अधिकार ऐसे प्रत्येक स्वामी को जिसे किसी चकबन्दी स्कीम के अनुसरण में कोई धृति आबंटित की जाती है, धारा 29क मे जैसा अन्यथा उपबंधित है इसके सिवाय, ऐसी धृति में वही अधिकार होंगे जो उसकी मूल धृति मे थे :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नही होगी जिसे धारा 21 के उपनियम 4 के उपबन्धों के अधीन धृति आबंटित की जाए।

29. विल्लंगमों का अन्तरण · (1) यदि चकबन्दी की किसी ऐसी स्कीम में जो धारा 22 के अधीन प्रस्तुत की गई है, सम्मिलित किसी स्वामी की कोई धृति किसी बंधक, ऋण या पट्टे से भिन्न किसी अन्य विल्लंगम से भारग्रस्त है तो ऐसा बंधक, ऋण या अन्य विल्लंगम उस धृति पर से अंतरित हो जाएगा और स्कीम के अधीन उसे आबंटित की गई किसी धृति या उसके किसी भाग के साथ, जैसा चकबंदी अधिकारी, धारा 37 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, नियत करे, संलग्न हो जाएगा, और बंधकधारी लेनदार विल्लंगमदार तदनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा।

(2) यदि वह धृति जिससे उपधारा (1) के अधीन कोई बंधक, ऋण या अन्य विल्लंगम अंतरित किया जाता है उस मूल धृति से, जिससे वह अंतरित किया गया है, कम बाजार मूल्य की है तो बंधकधारी या लेनदार या अन्य विल्लंगमदार धारा 30 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धृति के स्वामी से ऐसी क्षतिपूर्ति की रकम के संदाय का हकदार होगा जैसी उस मामले में अपेक्षित है और चकबन्दी अधिकारी द्वारा अवधारित की जाती है।

(3) धारा 21 में किसी बात के होते हुए भी चकबंदी अधिकारी कब्जे के हकदार किसी बंधकधारी या अन्य विल्लंगमधार को विहित रीति से उस धृति का कब्जा देगा जिस पर उसका बंधक या अन्य विल्लंगम उपधारा (1) के अधीन अंतरित किया गया है।

29क. पट्टा अंतरित किया जाए या नहीं इसका चकबंदी अधिकारी द्वारा विनिश्चय (1) धृति का यदि धारा 22 के अधीन प्रवृत्त की गई किसी चकबंदी स्कीम में सम्मिलित किसी स्वामी की कोई धृति किसी पट्टे से भारग्रस्त है तो चकबंदी अधिकारी लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि उस पर से ऐसा पट्टा अंतरित किया जाए या नही इस उपधारा के अधीन चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की प्रति धृति के निकट किसी स्थान पर लगा दी जाएगी और विहित रीति में प्रकाशित भी की जाएगी।

(2) यदि चकबंदी अधिकारी यह अवधारित करता है कि ऐसा पट्टा मूल धृति से अंतरित कर दिया जाए तो वह पट्टा स्कीम के अधीन स्वामी को आबंटित की गई किसी धृति या उसके ऐसे भाग के साथ जैसा चकबंदी अधिकारी, धारा 37 के अधीन बनाए गए किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए, नियत करे, संलग्न हो जाएगा और पट्टाधारी तदनुसार अपने अधिकारो का प्रयोग करेगा। धारा 28 की उपधारा (2) और (3) के उपबंध ऐसे पट्टे को वैसे ही लागू होंगे मानो पट्टा कोई बंधक या अन्य विल्लंगम है।

(3) यदि चकबंदी अधिकारी यह अवधारित करता है। कि ऐसा पट्टा मूल धृति में अंतरित नहीं किया जाएगा तो वह इस धृति के साथ संलग्न रहा जाएगा और वह स्वामी जिसे वह धृति स्कीम के अधीन आबंटित की जाती है उस धृति को ऐसे पट्टे के अधीन रहते हुए धारण करेगा; और सुगमता अभिवृत्ति विधि के उपबंध, जहां तक वे लागू हो सकते हैं स्वामित्व में ऐसा परिवर्तन होने पर भी, ऐसे पट्टे को लागू होंगे; और ऐसे स्वामी के अधिकार और दायित्व तथा पट्टाधारी उक्त विधि के उपबंधों से वैसे ही शासित होंगे जैसे भू स्वामी और उसका अभिधारी शासित होते हैं।

परन्तु ऐसे स्वामी उपर्युक्त के अनुसार धृति के आबंटन से ठीक पूर्व ऐसे पट्टे के अधीन शोध्य भाटक के बकाया हकदार नही होगा।

(4) इस धारा के अधीन चकबंदी अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील विहित समय के भीतर बंदोबस्त आयुक्त को की जाएगी।

30. अनुवाद की दशा मे क्षतिपूर्ति की रकम या शुद्ध मूल्य का प्रभाजन यदि—

(क) धारा 16 की उपधारा (2) या धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन अवधारित क्षतिपूर्ति की रकम;

(कक) धारा 18 के अधीन अवधारित क्षतिपूर्ति की रकम;

(ख) धारा 21 की उपधारा (4) या (5) के अधीन वसूल किया गया या दिया शुद्ध मूल्य;

(ग) धारा 29 के उपधारा (2) के अधीन अवधारित की गई क्षतिपूर्ति की कुल रकम;

के परिभाजित किए जाने की बाबत कोई विवाद है तो चकबंदी अधिकारी ऐसे विवाद को निर्णय के लिए जिला न्यायालय को विनिर्दिष्ट करेगा और क्षतिपूर्ति की रकम या शुद्ध मूल्य को न्यायालय में जमा करेगा और तदुपरि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का 1) की धारा 33, 53 और 54 के उपबंध, जहां तक हो सकता है, लागू होंगे।

31. चकबंदी की गई क्षतियों के अंतरण और उपविभाजित किए जाने पर निर्बन्धन (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन आबंटित की गई कोई क्षति या उसका कोई भाग—

(क) विक्रय द्वारा (जिसके अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय की डिग्री के निष्पादन में या भूमि राजस्व के बकाया की वसूली के लिए या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय राशियों के

लिए विक्रय भी है) या दान, विनिमय द्वारा या पट्टे द्वारा या अन्यथा, सिवाय ऐसी शर्तों के जैसी विहित की जाएं, अंतरित की जाएगी अन्यथा नहीं;

(ख) कलक्टर की लिखित अनुज्ञा के अधीन ही उप-विभाजित की जाएगी, जिसके अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की डिक्री द्वारा आदेश के अधीन उप-विभाजन भी है, अन्यथा नहीं;

(2) उपधारा (1) की कोई बात—

(क) इस अधिनियम के अधीन आबंटित धृति के अंतरण को वे लागू नहीं होगी जहां संपूर्ण क्षति का अंतरण किया जाना है और उसमें उसका कोई उप-विभाजन अंतर्ग्रस्त नहीं है या उस धृति का उप-विभाजन अंतर्ग्रस्त नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन आबंटित की जाती है या जहां ऐसा उप-विभाजन स्वामी की मृत्यु होने पर धृति के हकदार व्यक्तियों को अंश देने के लिए किया जाता है और उससे कोई खण्डकरण नहीं होता;

(ख) * * * * *

(ग) * * * * *

31क. स्कीम में लेखन या गणित संबंधी भूलों का संशोधन—यदि, स्कीम के लागू हो जाने के पश्चात् बंदोबस्त आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि स्कीम किसी लेखन या गणित संबंधी भूल के कारण या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उत्पन्न होने वाली चूक के कारण त्रुटिपूर्ण है और उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी भूल या चूक का संशोधन करने से स्कीम की किन्हीं तात्विक विशिष्टियों में कोई फेरफार नहीं होगा, तो वह लिखित आदेश द्वारा, ऐसी भूल या चूक को शुद्ध कर सकता है और अपने आदेश को विहित रीति में प्रकाशित कर सकता है ।

32. चूक, अनियमितता या अनौपचारिकता के कारण स्कीम में फेर-फार करने की शक्ति (1) यदि स्कीम के लागू हो जाने के पश्चात् प्रशासक को ऐसा प्रतीत होता है कि स्कीम धारा 31क में संशोधन से भिन्न किसी चूक, अनियमितता या अनौपचारिकता के कारण त्रुटिपूर्ण है तो प्रशासक ऐसे परिवर्तन के प्रारूप को विहित रीति से प्रकाशित करेगा । परिवर्तन के प्रारूप में स्कीम में किए जाने के लिए प्रस्थापित प्रत्येक संशोधन को दर्शाया जाएगा ।

(2) परिवर्तन के प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर उससे प्रभावित होने वाले कोई भी व्यक्ति ऐसे परिवर्तन की बाबत कोई आक्षेप प्रशासक को बंदोबस्त आयुक्त के माध्यम से लिखित में प्रस्तुत कर सकता है । उपधारा (2) के अधीन आक्षेपों के प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासक, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, किसी उपांतरण के साथ या उसके बिना ही ऐसा परिवर्तन कर सकता है या कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है ।

(3क) यदि स्कीम में उपधारा (3) में कोई परिवर्तन किया जाता है तो एक अधिसूचना जिसमें यह कथित किया जाएगा कि स्कीम में परिवर्तन किया गया है, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और इस प्रकार से परिवर्तित स्कीम विहित रीति से संबंधित ग्राम या ग्रामों में भी प्रकाशित की जाएगी ।

(4) ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जिसमें यह अधिकथित किया गया है कि स्कीम में परिवर्तन किए गए हैं, परिवर्तन इस प्रकार से प्रभावशाली होंगे मानो वे स्कीम में सम्मिलित थे ।

33. स्कीम में परिवर्तन करने या उसे प्रतिसंहृत करने की शक्ति—इस अधिनियम के अधीन पुष्ट की गई धृतियों की चकबंदी की किसी स्कीम में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है या उसे इस अधिनियम के अनुसार तदनन्तर तैयार की गई, प्रकाशित की गई और पुष्ट की गई किसी स्कीम द्वारा प्रतिसंहृत किया जा सकता है ।

अध्याय—5

साधारण

34. बंदोबस्त आयुक्त की शक्तियों का विहित किया जाना—प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन बंदोबस्त आयुक्त की सभी शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति कलक्टर में विनिहित कर सकता है ।

34क. ग्राम समितियों का गठन (1) ग्राम समिति का गठन चकबंदी अधिकारी द्वारा विहित रीति से किया जाएगा और वह इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित या समनुदेशित कर्तव्यों और कृत्यों के अतिरिक्त ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का पालन और निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विहित किए जाएं ।

(2) यदि किसी समय कलक्टर का यह समाधान हो जाता है कि ग्राम समिति ने बिना किसी युक्तियुक्त हेतुक या कारण के इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित या समनुदेशित कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का निर्वहन करने से इंकार कर दिया है या वह ऐसा करने में असफल रही है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि समिति उपर्युक्त कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का निर्वहन करने के अयोग्य हो गई है या ऐसा करना अन्यथा समीचीन या आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्राम समिति का उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन करेगा या इस अधिनियम के अधीन ग्राम समिति के कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त करेगा, और तदुपरि इस अधिनियम के अधीन ग्राम समिति के प्रति सब निर्देशों के अंतर्गत इस प्रकार से पुनर्गठित ग्राम समिति या

इस प्रकार से नियुक्त किए गए प्राधिकारी के प्रतिनिर्देश सम्मिलित समझे जाएंगे ।

35. प्रशासक की कार्यवाहियों की मांग करने की शक्ति—प्रशासक किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी भी समय ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निष्पादित किसी मामले के अभिलेख की मांग कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है तथा उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसे वह ठीक समझता है;

परन्तु तब तक किसी आदेश में कोई फेरफार या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा जब तक हितबद्ध पक्षकारों को आदेश में प्रस्थापित फेरफार या पुनरीक्षण के विरुद्ध हेतुक वर्णित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता ।

36. अपील और पुनरीक्षण—इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अध्याय 2, 3 या 4 के अधीन पारित किसी आदेश से कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन नहीं होगा ।

36क. अधिकारिता का वर्जन—(1) किसी सिविल न्यायालय या मामलतदार के न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न का निपटारा या विनिश्चय करने या उसकी बाबत कोई कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी जिस प्रश्न का निपटारा या विनिश्चय या उसकी बाबत कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रशासक द्वारा या किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित है ।

(2) प्रशासक या किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी का इस अधिनियम के अधीन आदेश किसी सिविल, दाण्डिक या मामलतदार के न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा ।

36ख. इस अधिनियम के अधीन विनिश्चित करने के लिए अपेक्षित विवाद्यकों के अंतर्ग्रस्त वाद—(1) यदि किसी सिविल न्यायालय या मामलतदार के न्यायालय में संस्थापित किसी वाद में कोई ऐसी विवाद्यक अंतर्ग्रस्त है जिनका निपटारा करना या, विनिश्चय करना या उनकी बाबत कार्रवाई करना इस अधिनियम के अधीन ऐसे विवाद्यकों का निपटारा करने, विनिश्चय करने या उनकी बाबत कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कहा गया है) करना अपेक्षित है तो सिविल न्यायालय या मामलतदार न्यायालय वाद को रोक देगा और ऐसे विवाद्यकों को अवधारण करने के लिए ऐसे सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा ।

(2) सिविल न्यायालय या मामलतदार के न्यायालय से ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी ऐसे विवाद्यक के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा और उनका विनिश्चय करेगा तथा अपना विनिश्चय सिविल न्यायालय या मामलतदार के न्यायालय को संसूचित करेगा और ऐसा न्यायालय, तदुपरि वाद को उसके लिए लागू होने वाली प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित करेगा ।

36ग. क्षतिपूर्ति—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या करने के लिए आशयित किसी बात की बाबत कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

37. नियम—(1) प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकता है ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रशासक निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए नियम बना सकता है,—

(क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशन की रीति;

(ख) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन लोक सूचना देने की रीति;

(ग) वे ग्राम अभिलेख जिनमें धारा 6 की उपधारा के अधीन खण्डों की प्रविष्टि की जाएगी

(गग) धारा 8क की उपधारा (2) के खण्ड ख के अधीन लाट डाल कर चुनने की रीति;

(घ) वह रीति जिससे स्कीम अपनाने के आशय को धारा 15 के अधीन प्रकाशित किया जाएगा;

(घघ) चकबंदी स्कीम में सम्मिलित किए जाने वाली विवरणी, अभिलेख और नक्शे तथा धारा 15क के अधीन स्कीम तैयार करने में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और अन्य विषय;

(ङ) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा को उस धारा की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशन की रीति;

(च) वह रीति जिससे धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन चकबंदी स्कीम का प्रारूप, संबंधित ग्राम या ग्रामों में प्रकाशित किया जाएगा;

(चच) धारा 20 के उपधारा (2) के खण्ड ख के अधीन और आगे संशोधित की गई स्कीम के प्रकाशन की रीति;

(छ) पुष्ट किए जाने पर किसी स्कीम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशन की रीति;

(ज) वह रीति जिससे किसी व्यक्ति को धारा 21 की उपधारा (2क) के अधीन बेदखल किया जा सकता है;

(झ) वह रीति जिससे किसी स्वामी से वसूलीय क्षतिपूर्ति की रकम उसके द्वारा धारा 2 की उपधारा (3) के अधीन जमा की जाएगी;

(अं) वह रीति जिससे धृति के अधिकार को धारा 2 की उपधारा 4 के अधीन आबंटित किया जा सकता है;

(ट) वह रीति जिससे धारा 24 के अधीन प्रमाणपत्र दिया जाएगा;

(ठ) वह अवधि जिसके भीतर धारा 26 की उपधारा (2) के खण्ड ख के अधीन आवेदन किया जाएगा।

(ड) चकबंदी अधिकारी अन्य अधिकारियों और व्यक्तियों के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन बंधक, ऋण या अन्य विल्लंगम के अंतरण की बाबत मार्गअनुदेश;

(ढ) वे शर्तें जिस पर धारा 31 के खण्ड फ के अधीन धृतियों का अंतरण किया जा सकता है;

(ढ़) धारा 31 फ के अधीन किसी आदेश को प्रकाशित करने की रीति;

(ण) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन परिवर्तित प्रारूप या उस धारा की उपधारा (अक) के अधीन परिवर्तित स्कीम के प्रकाशन की रीति;

(णण) वह रीति जिससे ग्राम समितियों का गठन किया जाएगा, और धारा 34 क के अधीन उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्य और कृत्य;

(त) वह रीति जिससे प्रत्येक पुनर्गठित धृति या ऐसी धृति के किसी भाग को क्षेत्र और निर्धारण अवधारित किया जाएगा;

(थ) वह रीति जिससे चकबंदी स्कीम के अनुसार स्वामित्व अधिकार अभिलेखों में संशोधन किए जाएँगे;

(द) इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों में चकबंदी अधिकारी या अन्य अधिकारियों तथा व्यक्तियों के लिए साधारण मार्गअनुदेश;

(ध) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है ।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे ।

(4) * * * *

38. * * * *

[सं० ए०-11015/4/83-(155)]
आर० सी० पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1983

G.S.R. 869(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947 (Bombay Act No. 62 of 1947), as in force in the State of Gujarat on the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. Throughout the Act,—

(a) unless otherwise directed, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted and there shall also be made in any sentence in which the words "State Government" occur, such consequential changes as the rules of grammar may require;

(b) for he words "relevant Code", wherever they occur, the words and figures "The Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971" shall be substituted.

2. In section 1, in sub-section (2), for the words "State of Gujarat", the words "Union territory of Dadra and Nagar Haveli", shall be substituted.

3. In section 2,—

(i) clause (1) shall be re-numbered as clause (1A) and before clause (1A) so re-numbered, the following clause shall be inserted namely :—

'(1) "Administrative" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, appointed by the President under article 239 of the Constitution';

(ii) After clause (1A) as so re-numbered, the following shall be inserted namely :—

'(IB) "Collector" means the Collector of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli';

(iii) In clause (2) the words "mahal or taluka" shall be omitted;

(iv) For clause (3A), the following clause shall be substituted namely :—

'(3A) "Cooperative Society" means a cooperative society registered or deemed to be registered under Gujarat Cooperative Societies Act, 1961 as in force in the Union territory;';

(v) In clause (8) the words "or Girasdar" and explanation thereunder shall be omitted;

(vi) For clauses (9a), (9b) and (9c) the following clauses shall be substituted namely : —

'(9a) "Settlement Commissioner" includes the Collector of any other person authorised by the Administrator;

(9b) "Union territory" means the Union territory of Dadra and Nagar Haveli;

(vii) Clause (12) shall be omitted.

4. In section 3, the words "mahal or taluka or tehsil" shall be omitted.

5. In section 4, in sub-section (1), the word "District" shall be omitted.

6. In section 7, in proviso to sub-section (1), for the words "State Government", wherever they occur, the words "Central Government" shall be substituted.

7. In section 8AA, in sub-section (2), in clause (a), the words, figures and punctuation marks "or, as the case may be, of that section in its application to the Saurashtra area of the State of Bombay under the Land Acquisition Act, 1894 (Adaptation and Application) Ordinance, 1948" shall be omitted.

8. In section 10,—

(i) In sub-section (1), for the words "State Government" wherever they occur, the words "Central Government" shall be substituted;

(ii) For sub-section (2) the following sub-section shall be substiuted namely :

"(2) Any such fragment may be disposed of in accordance with the provisions of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation,. 1971".

9. In section 12, the words and figures "or, as the case may be, of sub-section (1) of that section in its application to the Saurashtra area of the State of Bombay under the Land Acquisition Act, 1894 (Adaptation and Application Ordinance, 1948" shall be omitted.

10. For section 13 the following shall be substituted namely :—

"13. In section 81 of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971, the following shall be inserted at the commencement of the said section, namely :—

"Subject to the provisions of the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947 as in force in the State of Gujarat as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli".

11. In section 15 the words "Mahal, Taluka or Tehsil" shall be omitted.

12. In section 16, in sub-section (2), the words and figures "or, as the case may be of sub- section (1) of that section in its application to the Saurashtra area of the State of Bombay under the Land Acquisition Act, 1894 ((Adaptation and Application) Ordinance 1948" shall be omitted.

13. In section 18, in sub-section (2), for the words "State Government" the words "Central Government" shall be substituted.

14. In section 21, in sub-section (4), for the words "State Government" wherever they occur, the words "Central Government" shall be substituted.

15. In section 26,—

(1) for sub-sections (1) and (2) the following shall be substituted, namely :

"(1) During the continuance of the consolidation proceedings, the Consolidation Officer shall exercise and discharge the functions of a revenue officer under Chapter IX the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 and Mamlatdar's Courts Act, 1906 (Bombay Act 2 of 1906) as in force in Dadra and Nagar Haveli and no revenue officer other than the Consolidotion Officer shall take any proceedings under the said Act, or Regulation in respect of any holding or land for the consolidation of which a notification has been issued under section 15.

(2) Where in respect of any holding the Consolidation Officer proceeds to prepare a scheme under section 15,—

(a) All applications and proceedings including execution proceedings pending before any revenue officer under Chapter IX of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971, he Mamlatdar's Courts Act, 1906 (Bombay Act 2 of 1906) as in force in Dadra and Nagar Haveli, in respect of any holding or land for the

consolidation of which a notification has been issued under section 15 shall be transferred to the Consolidation Officer; and

(b) the Consolidation Officer shall, by proclamation, call upon all persons who claim to be entitled to possession under the said Act or Regulation of any holding for the Consolidation of which a notification has been issued under section 15 to make within the prescribed period an application to be put in possession of such holdings and any person who fails to do so within the prescribed period shall thereafter be debarred from making it:

Provided that nothing in this clause shall debar any person from making, after the coming into force of a scheme of consolidation under section 22, any application in respect of any holding included in the scheme, if such application could lie under the provisions of any law for the time being in force;

(2) In sub-section (3) for the words "under any of the said Acts" the words "under the said Act or Regulation" shall be substituted.

16. In section 27 for clause (a) the following clause shall be substituted namely :—

"(a) no proceedings,—

(i) under section 170 and 172 of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971;

(ii) for execution of any award made or deemed to be made under Gujarat Cooperative Societies Act, 1961 as in force in the Union territory;

(iii) for execution of any award made under the Union Territories Relief of Agricultural Indebtedness Regulation, 1976;

(iv) for execution of any decree made or passed by a Civil Court in respect of any land in respect of which a notification has been issued under section 15 shall be commenced, and all such proceedings if commenced shall be stayed;

(v) for partitioning or sub-dividing in any manner."

17. In section 30, the words and figures "or, as the case may be, the said provisions of that Act as applied to the Saurashtra area by the Land Acquisition Act, 1894 (Adaptation and Application) Ordinance. 1948" shall be omitted.

18. In section 31,—

(a) in sub-section (2),—

(i) in clause (a), the word "or" appearing at the end shall be omitted;

(ii) clause (b) shall be omitted;

(b) sub-clause (3) shall be omited.

19. In section 37, sub-section (4) shall be omitted.

20. Section 38 shall be omitted.

ANNEXURE

THE BOMBAY PREVENTION OF FRAGMENTATION AND CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1947 (BOMBAY ACT NO. LXII of 1947) AS IN FORCE IN THE STATE OF GUJARAT AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR HAVELI.

An Act to provide for the prevention of fragmentation of agricultural holdings and for their consolidation.

Whereas it is expedient to prevent the fragmentation of agricultural holdings and to provide for the consolidation of agricultural holding for the purpose of the better cultivation thereof it is hereby enacted as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short itle extent and commencement.—(1) This Act may be called the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

(3) It shall come into force in such areas and on such date as the Administrator may by notification in the Official Gazette direct.

2. Definition.—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context —

(1) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(1A) "agricultural year" means the year commencing on the first day of April;

(1B) "Collector" means the Collector of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

(2) "Consolidation of holdings" means the amalgamation and where necessary the redistribution of holdings or portions

of holdings in any village or any part thereof so as to reduce the number of plots in holdings;

(3) "Consolidation Officer" means an officer appointed as such under section 15 by the Administrator and includes any person authorised by the Administrator to perform all or any of the functions of the Consolidation Officer under this Act.

(3A) "Cooperative Society" means a Co-operative Society registered or deemed to be registered under Gujarat Cooperative Societies Act, 1961 (10 of 1962) as in force in the Union territory;

(4) "fragment" means a plot of land less extent than the appropriate standard area determined under this Act:

Provided that no plot of land shall be deemed to be a fragment by reason of any diminution in its area by diluvion;

(5) "land" means agricultural land, whether alienated or unalienated,

(6) "local area" means any area notified as such in the Official Gazette under section 3;

(7) Omitted.

(8) "Owner" means in the case of unalienated land the occupant or tenure-holder and when such land has been mortgated owner means the mortgagor; in the case of alienated land owner means the superior holder;

(9) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;

(9a)"Settlement Commissioner" includes the Collector or any other person authorised by the Administrator; and

(9b) "Union territory" means the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

(10) "Standard area" in respect of any class of land means the area which the Administrator may from time to time determine under section 5 as the minimum area necessary for profitable cultivation in any particular local area, and includes a standad area revised under the said section;

(10a) "village committee" means a village committee constituted under section 34A;

(11) words and expressions used in this Act, but not defined have the meaning assigned to them in the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971.

CHAPTER II

DETERMINATION OF LOCAL AND STANDARD AREAS AND TREATMENT OF FRAGMENTS.

3. Determination of local area.—The Administrator may, after such inquiry as it deems fit, by notification in the Official Gazette, specify a village, or any part thereof as a local area for the purpose of this Act.

4. Settlement of standard areas.—(1) The Administrator may, after such inquiry as the deems fit and after consultation with the Advisory Committee or any other body, appointed by him, provisionally settle for any class of land in any local area the minimum area that can be cultivated profitably as a separate plot.

(2) The Administrator shall by notification in the Official Gazette, and in such other manner as may be prescribed publish the minimum areas provisionally settled by him under sub-section (1) and invite objections thereto.

5. Determination and revision of standard areas.—(1) The Administrator shall, after considering the objections, if any, received within three months of the date of publication of the notification under sub-section (2) of section 4 in the village concerned and making such further inquiry as he may deem it, determine the standard area for each class of land in such local area.

(2) The Administrator may at any time if he deems fit expedient so to do, revise a standard area determined under sub-section (1). Such revision shall b emade in the manner laid down in section 4 and sub-section (1).

(3) The Administrator shall, by notification in the Official Gazette, and in such other manner as may be prescribed, give public notice of any standard trea determined under sub-section (1) or revised under sub-section (2).

6. Entry in the Record of Rights.—(1) On notification of a standard area under sub-section (3) of section 5 of a local area all fragments in the local area shall be entered as such in the Record of Rights or where there is no Record of Rights in such village record as the Administrator may prescrible.

(2) Notice of every entry made under sub-section (1) shall be given in the manner prescribed for the giving of notice under the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 of an entry in the register of mutations.

7. Transfer and lease of fragments.—(1) No person shall transfer any fragment in respest of which a notice has been given under sub-section (2) of section 6 except to the owner of a contiguous of a survey number or recognised sub-division of a survey number :

Provided that the holder of such fragment may mortgage or transfer it to the Central Government or a land mortgage bank or any other co-operative society as security for any loan advanced to him by the Central Government or such bank or society, as the case may be.

(2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any instrument or agreement, no such fragment shall be leased to any person other than a person cultivating any land which is contiguous to the fragment.

8. Fragment on prohibited.—No land in any local area shall be transferred or partitioned so as to create a fragment.

8AA. Restriction on partition of land —(1) Where, by transfer, decree, succession or otherwise, two or more persons are entitled to shares in an undivided agricultural land in any local area for which standard areas have been fixed, and the land has to be partitioned among them, such partition shall be effected so as not to create a fragment.

(2) Where such partition is made by the Court or the Collector, the following procedure shall be adopted —

(a) If, in effecting a partition among several co-sharers, it is found that a co-sharer is entitled to a specific share in the land and cannot be given that share without creating a fragment, he shall be compensated in money for that share. The amounts of compensation shall be determined so far as practicable in accordance with the provisions of section 23 of the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894).

(b) If, in effecting a partition, it is found that there is not enough land to provide for the shares of all the co-sharers in accordance with the provisions of sub-section (1), the co-sharers may argee among themselves as to the particular co-sharer or co-sharers who should get the share of land and which of them should be compensated in money. In the absence of any such agreement, the co-sharers to whom a share of land can be provided and those to whom money compensation should be given shall be chosen by lot in the manner prescribed.

(c) The compensation shall be payable by each co-sharer in propertion to the excess value of land he gets over the share of land legally due to him, and such co-sharer shall deposit the proportionate amount of compensation in the manner prescribed before taking possession of the share allotted to him. On his failure to do, so, his share shall be allotted to any other co-sharer to whom land has not been previously alloted and who is chosen in the mener provided in clause (b) subject to the payment of similar compensation to the co-sharers not getting shares of land.

(d) If non of the co-sharers to whom land has been alloted under clause (c) pays the compensation and takes the share, the share shall be sold in auction to the highest bidder, and the purchase money shall be paid to the co-sharers not getting land in proportion to their respective shares.

(e) Where the parties agree upon any other method of partition which will not result in the creation of a fragment, that method shall be followed in effecting partition.

(3) Where a partition is effected in execution of a decree all questions relating to the partition of the land and apportionment of compensation shall be decided by the Court executing the decree or by the Collector effecting the partition, as the case may be, in accordance with the provisions of sub-section (2).

8A. Sections 7 and 8 not to apply to transfer for public purpose.—Nothing in sections 7, 8 and 8AA shall apply to a transfer of any land for such public purpose as may be specified in this behalf by the Administrator by notification in the Official Gazette.

9. Penalty for transfer or partition contrary to provisions of Act.—(1) The transfer or partition of any land contrary to the provisions of this Act shall be void.

(2) The owner of any land so transferred or partitioned shall be liable to pay such fine not exceeding Rs. 250 as the Collector may, subject to the general orders of the Administrator direct, Such fine shall be recoverable as an arrear of land revenue.

(3) Any person unauthorizedly occupying or wrongfully in possession of, any land, the transfer or partition of which, either by the act of parties or by the operation of law, is void under the provisions of this Act, may be summarily evicted by the Collector.

10. Transfer of fragment to Government.—(1) Any owner of a fragment may transfer it to the Central Government on payment by the Central Government of such compensation to persons possessing interest therein as the Collector may determine and thereupon the fragment shall vast absolutely in the Central Government free from all encumbrances but no such fragment shall be transferred to the Central Government unless it is first offered to the owner of a contiguous survey number or recognised sub-division of a survey number on payment of the compensation determined by the Collector as aforesaid and such owner has refused to purchase the fragment on payment of such compensation.

(2) Any such fragment may be disposed of in accordance with the provisions of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971.

11. Omitted.

12. Determination of compensation for purpose of section 10.—In determining the compensation for the purposes of section 10 the Collector shall have regard to the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894).

13. In section 81 of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971, the following shall be inserted at the commencement of the said section, namely :—

"Subject to the provisions of the Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947 as in force in the state of Gujarat as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli."

14. Fragment not to be sold at Court sale or created by such sale.—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no fragment, in respect of which a notice has been given under sub-section (2) of section 6, shall be sold at any sale held under the orders of any Court except to the owner of a contiguous survey number or recognised sub-division of a survey number and no land shall be sold at such sale so as to leave a fragment.

CHAPTER III

PROCEDURE FOR CONSOLIDATION

15. Administrator may of his own accord or on application declare his intention to make schemes for consolidation of holdings.—With the object of consolidating holdings in any village, or any part thereof for the purpose of better cultivation of lands therein, the Administrator may of his own motion or on an application made in that behalf declare by a notification in the Official Gazette and by publication in the prescribed manner in the village or villages concerned his intention to make a scheme for the consolidation of holdings in such village or villages or part thereof as may be specified. On such publication in the village concerned the Administrator may appoint a Consolidation Official who shall proceed to prepare a scheme for the consolidation of holdings in such village or villages or part thereof, as the case may be in the manner hereinafter provided.

15A. Preparation of scheme and principles to be followed in this preparation.—(1) The Consolidation Official shall, after giving due notice to the land owners concerned and the village committee, visit each of the concerned villages and shall, in consultation with the village committee, proceed to prepare a scheme for the consolidation of holdings which shall include such statements, records and maps as may be prescribed.

(2) In preparing the scheme, the Consolidation Officer shall have regard to the procedure which the Administrator may from time to time prescribe in regard to the number of blocks in which the village lands are to be grouped, the manner of allotting new plots to each owner, the recommendations of the village committee and such other matters as may be prescribed.

16. Scheme to provide for compensation.—(1) The scheme prepared by the Consolidation Officer shall provide for the payment of compensation to any owner who is allotted a holding of less market value than that of his original holding and for the recovery of compensation from any owner who is allotted a holding of greater market value than that of his original holding.

(2) The amount of compensation shall be determined, so far as practicable, in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894).

17. Amalgamation of public roads etc., within scheme for consolidation of holdings.—(1) Whenever in preparing a scheme for the consolidation of holdings, it appears to the Consolidation Offi-

cer that it is necessary to amalgamate any road, street, land or path with any holding in the scheme, he shall make a declaration to that effect stating in such declaration that it is proposed that the rights of the public as well as of all individuals in or over the said road, street, land or path shall be extinguished or, as the case may be, transferred to a new road, street, lane or path laid out in the scheme of consolidation.

(2) The declaration in sub-section (1) shall be published in the village concerned in the prescribed manner along with the draft scheme referred to in section 19.

(3) Any member of the public or any person having any interest or right, in addition to the right of public highway, in or over the said road, street, lane or path or having any other interest or right which is likely to be adversely affected by the proposal may, within thirty days after the publication of the declaration under sub-section (1) state to the Consolidation Officer in writing his objection to the proposal, the nature of such interest or right and the manner in which it is likely to be adversely affected and the amount and the particulars of his claim to compensation for such interest or right :

Provided that no claim for compensation on account of the extinction or diminution of the right of public highway over such road, street, lane or path shall be entertained.

(4) The Consolidation Officer shall, after considering the obejctions, if any, made to the proposal, submit it with such amendments, if any, as he may consider necessary, to the Settlement Commissioner, together with the objections received, his recommendations thereon and a statement of the amounts of compensation, if any, which in his opinion are payable, and of the persons by whom and the persons to whom such compensation is payable. The decision of the Settlement Commissioner on the proposal and regarding the amount of compensation and the persons by whom such compensation, if any, is payable, shall, subject to any modification made by the Administrator, be final.

18. Land reserved for public purpose.—(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, it shall be lawful for the Consolidation Officer, in consultation with the village committee,—

(a) to direct that any land specifically assigned for any public purpose shall cease to be so assigned and to assign any other land in its place;

(b) if in any area under consolidation no land is reserved for any public purpose including extension of the village sites, or if the land so reserved is inadequate, to assign other land for such requirements and for that purpose to effect a proportionate cut in all the holdings of the village.

(2) Where a proportionate cut in all the holdings of a village has been effected under sub-section (1), the Central Government shall pay to every person affected thereby compensation in respect of the land covered by such cut at the market value of the land at the date of the publication of the notification under section 15.

(3) Save as provided in sub-section (2), the amount of such compensation shall be determined by the Consolidation Officer, so far as practicable in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894).

19. Publication of draft scheme.—(1) When the scheme of consolidation is ready for publication, the Consolidation Officer shall publish it in the prescribed manner in the village or villages concerned. Any person likely to be affected by such scheme, shall, within thirty days of the date of such publication, communicate in writing to the Consolidation Officer any objection relating to the scheme. The Consolidation Officer shall, after considering the obejctions, if any received, submit the scheme with such amendments as he considers to be necessary, together with his remarks on the objections, to the Settlement Commissioner.

(2) The Consolidation Officer shall also publish the schemes as amended by him.

20. Confirmation of Scheme.—(1) If within thirty days of its publication, no objections are received to the draft scheme published under sub-section (1) or as the case may be, the amended draft scheme published under sub-section (2), of section 19, the Settlement Commissioner shall confirm the scheme.

(2) If any objections are received to such draft scheme of amended draft scheme, and

(a) the Settlement Commissioner after considering the objections approves of the draft scheme or the amended scheme, he shall submit the draft scheme, or as the case may be, the amended scheme to the Administrator together with the objections received thereto, or

(b) the Settlement Commissioner, after considering the objections, further amends the scheme, the Settlement Commissioner shall publish the further amended scheme in the prescribed manner.

(3) If within fifteen days of the publication of a further amended scheme under clause (b) of sub-section (2),—

(a) no objections are received thereto, the Settlement Commissioner shall confirm the scheme; and

(b) if any objections are received, then the Settlement Commissioner shall submit such further amended scheme to the Administrator together with the objections received thereto.

(4) Upon submission of a scheme under clause (a) of sub-section (2) or clause (b) of sub-section (3), the Administrator may, after taking into consideration the objections either confirm the scheme, with or without amendments or may refuse to confirm it.

21. Right to possession of new holdings.— (1) Upon the confirmation of the scheme under sub-section (1), (3) or (4) of section 20, a notification stating that the scheme has been confirmed shall be published in the Official Gazette and the scheme as confirmed shall be published in the prescribed manner in the village or villages concerned. If two-thirds or more of the owners affected by such scheme agree to enter into possession of the holdings allotted to them thereunder, the Consolidation Officer may allow all the owners to enter into such possession forthwith or from such date as may be specified by him.

(2) If two thirds or more of such owners do not agree to enter into possession under sub-section (1), all the owners shall be entitled to possession of the holdings allotted to them under the scheme from the commencement of the agricultural year next following the date of publication of the notification in the Official Gazette under sub-section (1).

(2A) In enforcing the provisions of sub-section (1) or (2) the Consolidation Officer shall, if necessary, put the owners in possession of the holding to which they are entitled under the scheme and for doing so may, in the prescribed manner, evict any person from any land.

(3) Notwithstanding anyhing contained in sub-section (2) no owner shall be entitled to possession of any holding allotted to him under the scheme unless he deposits in the prescribed manner within fifteen days of the commencement of the said agricultural year such compensation as is recoverable from him under the scheme.

(4) Where an owner fails to comply with the provisions of sub-section (3) his right in such manner by the Consolidation Officer to any other person who pays the value of the holding, and in such case the value realised after deducting the expense (hereinafter called the net value) shall be paid to the owner and any other person having an interest in the holding.

(5) If no person is forthcoming to pay the value of the holding, the Central Government may recover from the owner the compensation recoverable from him under the scheme as an arrear of land revenue or the Central Government may itself purchase the holding after paying the net value of the holding to the owner and any other person having interest in the holding.

22. Coming into force of scheme.—As soon as the persons entitled to possession of holdings under this Act have entered into possession of the holdings respectively allotted to them, the scheme shall be deemed to have come into force.

23. Certain laws no ban on transfer of holdings.—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the rights of owners, or other persons having interest, shall for the purpose of giving affect to any scheme of consolidation effecting them be transferable by exchange or otherwise.

24. Certificate of transfer.—(1) The Consolidation Officer shall grant to every owner to whom a holding has been allotted in pursuance of a scheme of consolidation and to very persons to whom a right is allotted under sub-section (4) of section 21, a certificate in the prescribed form duly registered under the Indian Registration Act, 1908 (XVI of 1908), to tht effect that the holding has been transferred to him in pursuance of the scheme.

The Consolidation Officer may, thereupon, cause to be prepared a new record of rights in respect of the holdings so transferred and the record of rights so prepared shall be deemed to have been prepared under the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 (2 of 1971).

(2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force no stamp or registration fee shall be payable in respect of such certificate.

25. Loans to assist consolidation.—For carrying out any of the purposes of this Act, a loan may be granted to an owner and recovered from him as a loan under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists' Loans Act, 1884 (XIX of 1883 (XII of 1884).

CHAPTER IV

EFFECT OF CONSOLIDATION PROCEEDINGS AND CONSOLIDATION OF HOLDINGS.

26. (1) During the continuance of the consolidation proceedings, the Consolidation Officer shall exercise and discharge the functions of a revenue officer under Chapter IX of the Dadra

and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 and Mamlatdar's Courts Act, 1906 (Bombay Act 2 of 1906) as in force in Dadra and Nagar Haveli and no revenue officer other than the Consolidation Officer shall take any proceedings under the said Act or Regulation in respect of any holding or land for the consolidation of which a notification has been issued under section 15.

(2) Where in respect of any holdings the Consolidation Officer proceeds to prepare a scheme under section 15,—

(a) All applications and proceedings including execution proceedings pending before any revenue officer under Chapter IX of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971, the Mamlatdars courts Act, 1906 (Bombay Act 2 of 1906) as in force in Dadra and Nagar Haveli, in respect of any holding or land for the consolidation of which a notification has been issued under section 15 shall be transferred to the Consolidation Officer; and

(b) the Consolidation Officer shall, by proclamation, call upon all persons who claim to be entitled to possession under the said Act or Regulation of any holding for the Consolidation of which a notification has been issued under section 15 to make within the prescribed period an application to be put in possession of such holdings; and any person who fails to do so within the prescribed period shall thereafter be debarred from making it :

Provided that nothing in this clause shall debar any person from making, after the coming into force of a scheme of consolidation under section 22, any application in respect of any holding included in the scheme, if such application could lie under the provisions of any law for the time being in force;

(3) The Consolidation Officer shall submit any order passed by him under any of the said Acts to the Collector for confirmation if an application in that behalf is made to him by any party to a proceeding under this section within fifteen days from the date of the order.

27. Stay of certain proceedings; ban on transfer of land during continuance or consolidation proceedings.—When a Consolidation Officer proceeds to prepare a scheme under section 15, during the continuance of the consolidation proceedings —

(a) no proceedings,—

(i) under section 170 and 172 of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971;

(ii) for execution of any award made or deemed to be made under Gujarat Cooperative Societies Act, 1961 as in force in the Union territory;

(iii) for execution of any award made under the Union Territories Relief of Agricultural Indebtedness Regulation, 1976;

(iv) for execution of any decree made passed by a Civil Courts in respect of any land in respect of which a notification has been issued under section 15 shall be commenced, and all such proceedings if commenced shall be stayed;

(v) for partitioning or sub dividing in any manner.

(b) no person shall transfer any land in respect of which a notification under section 15 has been issued.

28. Rights in holdings.—Every owner to whom a holding is allowed pursuance of a scheme of consolidation shall save as otherwise provided in section 29A, have the same rights in holding as he had in this original holding:

Providd that nothing in this section shall apply to any person to whom a holding has been allotted under the Provisions of sub-section (4) of section 21.

29. Transfer of encumbrances.—(1) If the holding of an owner included in a scheme of consolidation which has come into force under section 22 is burdened with a mortgage, debt or other encumbrance other than a lease such mortgage, debt or other encumbrance shall be transferred therefrom and attach itself to the holding allotted to him under the scheme or to such part of it as the Consolidation Officer may, subject to any rules made under section 37, appoint ; and the mortgagee, creditor or other encumbrancer as the case may be, shall exercise his rights accordingly.

(2) If the holding to which a mortgage, debt or other encumbrance is transferred under subsection (1) is of less market value than the original holding from which it is transferred the mortgagee, creditor or other encumbrancer, as the case may be, shall subject to the provisions of section 30 be entitled to the payment of such compensation by the owner of the holding, as the case may require, as the Consolidation Officer may determine.

IndiaCode

(3) Notwithstanding anything contained in section 21, the Consolidation Officer shall, in the prescribed manner; put any mortgagee or other encumbrancer entitled to possession into possession of the holding to which his mortgage or other encumbrance has been transferred under sub-section (1).

29A. Consolidation Officer to decide whether lease should be transferred.—(1) If the holding of an owner included in a scheme of consolidation which has come into force under section 22 is burdened with a lease, the Consolidation Officer shall by an order in writing determine whether such lease shall or shall not be transferred therefrom. A copy of the order passed by the Consolidation Officer under this sub-section shall be affixed to a place near the holding and shall also be published in the prescribed manner.

(2) If the Consolidation Officer determines that such lease shall be transferred from the original holding it shall attach itself to the holding allotted to the owner under the scheme or such part of it as the Consolidation Officer may, subject to any rules made under section 37, appoint and the lessee shall exercise his rights accordingly. The provisions of sub-sections (2) and (3) of section 29 shall apply to such lease as if the lease were a mortgage or other encumbarance.

(3) If the Consolidation Officer determines that such lease shall not be transferred from the original holding it shall remain attached thereto, and the owner to whom such holding as allotted under the scheme shall hold it subject to such lease; and the provisions of the relevant tenancy law, shall, so far as may be, notwithstanding the change in the ownership, apply to such lease; and the rights and liabilities of such owner and the lessee shall be governed by the provisions of the said law as between the landlord and his tenant :

Provided that such owners shall not be entitled to arrears of rent due under such lease immediately before the allotment of the holding as aforesaid.

(4) An appeal against the decision of the Consolidation Officer under this section shall lie to the Settlement Commissioner within the prescribed time.

30. Apportionment of compensation or net value in case of dispute.—Where there is a dispute in respect of the appointment of—

(a) the amount of compensation determined under sub-section (2) of section 16 or sub-section (4) of section 17;

(aa) the amount of compensation determined under section 18;

(b) the net value realized or payable under sub-section (4) or (5) of section 21;

(c) the total amount of compensation determined under sub-section (2) of section 29,

the Consolidation Officer shall refer the dispute to the decision of the District Court and deposit the amount of the compensation or net value, as the case may be, in the Court and thereupon the provisions of sections 33, 53 and 54 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), shall, so far as may, apply.

31. Restrictions or alienation and sub-division of consolidated holdings.—(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no holding allotted under this Act, nor any part thereof, shall be—

(a) transferred, whether by way of sale (including sale in execution of a decree of a Civil Court or for recovery of arrears of land revenue or for some recoverable as arrears of land revenue) or by way of gift, exchange, or lease, or otherwise, except in accordance with such conditions as may be prescribed;

(b) sub-divided (including sub-division by a decree or order of a Civil Court or any other competent authority) except with the permission in writing of the Collector.

(2) Nothing in sub-section (1)—

(a) Shall apply to a transfer of a holding allotted under this Act where the transfer is of the entire holding, not involving and sub-division thereof, or to a sub-division of a holding allotted under this Act where such sub division is made to provide for the shares of persons entitled thereto on the death of the owner, and does not create any fragment;

(b) Omitted.

(c) Omitted.

31A. Correction of clerical and arithmetical mistakes in scheme.—If, after a scheme has come into force, it appears to the Settlement Commissioner that the scheme is defective, on account of any clerical or arithmetical mistake or error arising therein from any accidental slip or omission and he is satisfied that the correction of such mistake or error would not very the scheme in any material particular, he may by order in writing correct such mistake or error and publish his order in the prescribed manner.

32. Power to vary scheme on ground of error, irregularity, informality.—(1) If after a scheme has come into force it appears to the Administrator that the scheme is defective on account of an error other than that referred to section 31A, irregularity or informality the Administrator shall publish a draft of such variation in the prescribed manner. The draft variation shall state every amendment proposed to be made in the scheme.

(2) Within one month of the date of publication of the draft variation any person affected thereby may communicate in writing any objection to such variation to the Administrator through the Settlement Commissioner.

(3) After receiving the objections under sub-section (2) the Administrator may, after making such enquiry as we may think fit make the variation with|without modification or may not make any variation.

(3A) If the scheme is varied under sub-section (3), a notification stating that the scheme has been varied shall be published in the Official Gazette and the scheme so varied shall be published in the prescribed manner in the village or villages concerned.

(4) From the date of the notification stating that the scheme has been varied the variation shall take effect as if it were incorporated in the scheme.

33. Power to vary revoke scheme.—A scheme for the consolidation of holdings confirmed under this Act may at any time be varied or revoked by a subsequent scheme prepared, published and confirmed in accordance with this Act.

CHAPTER V

GENERAL

34. Vesting powers Settlement Commissioner.—The Administrator may, by notification in the Official Gazette invest the Collector with all or any of the powers of the Settlement Commissioner under this Act.

34A. Constitution of village committees.—(1) The village committee shall be constituted by the Consolidation Officer in the prescribed manner and it shall discharge and perform, in addition to the duties and functions imposed or assigned by this Act, such other duties and functions as may be prescribed for the purposes of this Act.

(2) Where at any time the Collector is satisfied that the village committee has refused or failed without reasonable cause or excuse to discharge the duties or perform the functions imposed or assigned by or under this Act or circumstances have so arisen that the committee has been rendered unable to discharge the duties or perform the functions aforesaid or it is otherwise expedient or necessary to do so he may by notification in the Official Gazette either reconstitute, for the purposes of this Act, the village committee in accordance with the provisions of sub-section (1), or appoint some oher authority to perform the functions or discharge the duties of the village committee under this Act, and thereupon all references to the village committee under this Act shall be deemed to include references to the village committee so reconstituted or the authority so appointed as the case may be.

35. Power of Administrator to call for proceedings.—The Administrator may at any time for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any order passed by any officer under this Act call for and examine the record of any case pending before or disposed of by such officer and may pass such order in reference thereto as he thinks fit :

Provided that no order shall be varied or revised until the parties interested have been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed variation of revision of the order.

36. Appeal and revision.—Except as provided in this Act, no appeal or revision application shall lie from any order passed under Chapter II, III or IV of this Act.

36A. Bar of jurisdiction.—(1) No Civil Court or Mamlatdar's Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question which is by or under this Act required to be settled, decided or dealt with by the Administrator or any officer or auhority.

(2) No order of the Administrator or any such officer or authority made under this Act shall be questioned in any Civil Criminal or Mamlatdar's Court.

36B. Suits involving issues required to be decided under this Act.—(1) If any suit instituted in any Civil Court or Mamlatdar's Court involves any issues which are required to be settled, decidsettle, decide or deal with such issues under this Act (hereinafter referred to as the 'competent authority') at the Civil Court or Mamlatdar's Court shall stay the suit and refer such issues to such competent authority for determination.

(2) On receipt of such reference from the Civil Court or Mamlatdar's Court, the competent authority shall deal with and decide such issues in accordance with the provisions of this Act, and shall communicate its decisions to the Civil Court or Mamlatdar's Court and such Court shall thereupon dispose of the suit in accordance with the procedure applicable thereto.

36C. Indemnity.—No suit or other legal proceedings shall lie against any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

37. Rules.—(1) The Administrator may by notification in the Official Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the forgoing power the Administrator may make rules, providing for—

(a) the manner of publication under sub-section (2) of section 4;

(b) the manner of giving public notice under sub-section (3) of section 5;

(c) village records in which fragments shall be entered under sub-section (1) of section 6;

(cc) The manner of choosing by lot under clause (b) of sub-section (2) of section 8AA;

(d) the manner in which the intention to make a scheme shall be published under section 15;

(dd) the statement, records and maps to be included in the scheme of consolidation and the procedure and other matters to be observed in the preparation of the scheme under section 15A;

(e) the manner of publication under sub-section (2) of section 17 of a declaration made under sub-section (1) of the said section.

(f) the manner in which a draft scheme of consolidation shall be published under sub-section (1) of section 19 in the village or villages concerned;

(ff) the manner of publication of further amended scheme under clause (b) of sub-section (2) of section 20;

(g) the manner of publication of a scheme under sub-section (1) of section 21, on its being confirmed;

(h) the manner in which a person may be evicted under sub-section (2A) of section 21;

(i) the manner in which compensation recoverable from an owner shall be deposited by him under sub-section (3) of section 21;

(j) the manner in which right of holding may be allotted under sub-section (4) of section 21;

(k) the form in which a certificate shall be granted under section 24;

(l) the period within which an application shall be made under clause (b) of sub-section (2) of section 26;

(m) the guidance of the Consolidation Officer and other officers and persons in respect of the transfer of a mortgage, debt or other encumbrance under sub-section (1) of section 29;

(n) the conditions in accordance with which holdings may be transferred under clause (a) of section 31;

(nn) the manner of publication of an order under section 31A;

(o) the manner of publication of a draft-variation under sub-section (1) of section 32 or of a varied scheme under sub-section (3A) thereof;

(oo) the manner in which village committees shall be constituted, and the duties and functions to be discharged by them, under section 34A;

(p) the manner in which the area and assessment (including water-rate, if any) of each reconstituted holding or part of such holding shall be determined;

(q) the manner in which corrections shall be made in the Record of Rights in accordance with a scheme of consolidation;

(r) generally, for the guidance of the Consolidation Officer and other officers and persons in all proceedings under this Act;

(s) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication.

(4) Omitted.

38. Omitted.

[No. U-11015/4/83-UTL(155)]

R. V. PILLAI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1983